कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2053 /रामपुर/27293/2017, दिनांक, लखनऊ, जनवरी 03 , 2018

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,
वन अनुभाग–2,
लखनऊ।

विषय : रामपुर में स्वार–बिलासपुर मार्ग किमी0 13 की बायीं पटरी पर ग्राम–मेंहदीनगर, तहसील–स्वार के खसरा सं0–132 पर एच0पी0सी0एल0 द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग हेतु 0.064148 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ : उ0प्र0शासन का पत्रांक–पी–119/14–2–2017–800(17)/2017, दि0 15.12.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा ओवरराइट को प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्ताव शासन को पुनः उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे। उक्त कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

उक्त के कम में प्रभागीय निदेशक, रामपुर के पत्रांक–1586/5–3, दि0 26.12.2017 द्वारा ओवरराइट को प्रतिहस्ताक्षरित कर प्रस्ताव की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। अतः उक्त पत्र एवं प्रस्ताव की एक प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि प्रकरण में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक:प्रस्ताव की एक प्रति।

भवदीय,

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक– 2053 / ,उक्त दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
2– प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, रामपुर।
3– श्री एस0के0सिन्हा, विधिवत गठित न्यायवादी, एच0पी0सी0एल0, मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ।

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उ0प्र0, लखनऊ।